प्रेषक,

अश्वनी कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4

लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी, 2010

विषयः– लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2010 से संबंधित अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

दिनांक 8.12.2009 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित करने तथा पूर्व में प्रेषित किये गये अधियाचनों में पायी गयीं विसंगतियों का समयबद्ध रूप से निराकरण कर विलम्बतम दिनांक 15.12.2009 तक आयोग को विशेष वाहक के माध्यम से अवगत कराने के संबंध में निर्गत समसंख्यक पत्र दिनांक 9.12.2009 के संदर्भ में आयोग द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2010 में सम्मिलित किये जाने हेतु मात्र उद्यान विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, वित्त विभाग, विकलांग कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग तथा कर एवं निबंधन विभाग द्वारा ही आयोग को अधियाचन उपलब्ध कराये गये हैं। अन्य महत्वपूर्ण पदों यथा डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक, खण्ड विकास अधिकारी आदि से संबंधित पदों के अधियाचन अभी तक आयोग को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

2. उपर्युक्त के संदर्भ में आपसे निम्नवत् अनुरोध करने का मुझे पुनः निदेश हुआ हैः–

(1) सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2010 (पी.सी.एस. परीक्षा–2010) में सम्मिलित किये जाने वाले अवशेष पदों के अधियाचन तत्काल लोक सेवा आयोग को उपलब्ध करा दिये जायें। यदि उक्त परीक्षा में सम्मिलित करने हेतु कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है, तो भी तदानुसार आयोग को अवगत करा दिया जाय।

(2) दिनांक 26.11.2009 को प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग एवं दिनांक 8.12.2009 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठकों में दिये गये निर्देशानुसार, सीधी भर्ती/पदोन्नति से संबंधित अधियाचनों के साथ–साथ अन्य परीक्षाओं से संबंधित अधियाचनों के संबंध में आयोग द्वारा अवगत करायी गयी विसंगतियों का निराकरण कर विशेष वाहक के माध्यम से आयोग को अवगत करा दिया जाय।

(3) आयोग की परिधि में आने वाले सीधी भर्ती/पदोन्नति के पदों के समस्त अधियाचन, पूर्व में निर्गत शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार 02 वर्ष पूर्व आयोग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय, ताकि आयोग द्वारा समय से चयन की कार्यवाही सम्पन्न कर, चयनित अभ्यर्थियों की संस्तुतियां उपलब्ध करायी जा सकें।

3. कृपया उपर्युक्त निर्देशों के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही करने हेतु समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव

संख्या–15/9/2009(1)–का–4–2010, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को, अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के मुख्य सचिव को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–98/अध्यक्ष/2010, दिनांक 12.1.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(अश्वनी कुमार सिंह)
विशेष सचिव